राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 18/2025
(अपील संख्या – 3421/2024)

डॉ. जुल्फिकार अहमद काजी

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. सुश्री गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. श्री कृष्णकांत पाठक, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग, जयपुर।
3. डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ''स्वास्थ्य भवन'' जयपुर।
4. डॉ. सुशील परमार, अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ''स्वास्थ्य भवन'' जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 30.01.2025

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– **विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 3421/2024 में दिनांक 24.12.2024 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है।

अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 24.12.2024 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :–

''प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर हाल निलंबित मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2024 के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 170 / 2024 अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाये जाने पर दिनांक 11.08.2024 को गिरफ्तार किया गया और वह 48 घण्टों से अधिक पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में रहा, जिसके कारण अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम के नियम 13(2) के अंतर्गत अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.08.2024 के द्वारा निलंबित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को निलंबित हुये 90 दिवस से अधिक अवधि हो जाने के पश्चात् विभाग द्वारा न तो आरोप पत्र अपीलार्थी को दिये जाने और न ही सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलंबित रखे जाने का प्रश्न है, आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 11.08.2024 से निलंबित किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त आदेश के द्वारा निलंबित हुये 90 दिवस से भी अधिक का समय बीत चुका है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में भी यह स्पष्ट अंकित है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है और जांच पूर्ण होने उपरांत दोषी पाये जाने पर उसे आरोप पत्र दे दिया जायेगा। परंतु अपीलार्थी को आलोच्य निलंबन आदेश जारी होने के बाद 90 दिवस से भी अधिक का समय बीत चुका है, परंतु अपीलार्थी के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2015) 7 एससीसी 291 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 जिसमें निलंबन के तीन माह पूर्ण होने पर आरोप पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence. We think this will adequately safeguard the universally recognized principle of human dignity and the right to a speedy trial and shall also preserve the interest of the Government in the prosecution. We recognize that previous Constitution Benches have been reluctant to quash proceedings on the grounds of delay, and to set time limits to their duration. However, the imposition of a limit on the period of suspension has not been discussed in prior case law, and would not be contrary to the interests of justice. Furthermore, the direction of the Central Vigilance Commission that pending a criminal investigation departmental proceedings are to be held in abeyance stands superseded in view of the stand adopted by us.

So far as the facts of the present case are concerned, the Appellant has now been served with a Chargesheet, and, therefore,

these directions may not be relevant to him any longer. However, if the Appellant is so advised he may challenge his continued suspension in any manner known to law, and this action of the Respondents will be subject to judicial review."

इस प्रकार उक्त न्यायिक विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना उक्त विधि के विरूद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.08.2024 को उक्त न्यायिक विनिश्चय को दृष्टिगत रखते हुये अपास्त किया जाता है।''

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 24.12.2024 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। प्रत्यर्थी विभाग जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 24.12.2024 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् राजकीय अधिवक्ता द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से बहस की है कि उत्तरदाता विपक्षी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई अवमानना कारित नहीं की गयी है। माननीय अधिकरण के आदेशों की पालना में विपक्षी ने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कोताई नहीं की है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी–अपीलार्थी की अवमानना याचिका को निरस्त फरमावे।

4. हमनें उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपने तथ्यों की पुनरावृत्ति की।

5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2024 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :–

''प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं संयुक्त निदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर हाल निलंबित मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 22.08.2024 के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 170/2024 अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाये जाने पर दिनांक 11.08.2024 को गिरफ्तार किया गया और वह 48 घण्टों से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रहा, जिसके कारण अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम के नियम 13(2) के अंतर्गत अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.08.2024 के द्वारा निलंबित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को निलंबित हुये 90 दिवस से अधिक अवधि हो जाने के पश्चात् विभाग द्वारा न तो आरोप पत्र अपीलार्थी को दिये जाने और न ही सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलंबित रखे जाने का प्रश्न है, आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 11.08.2024 से निलंबित किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त आदेश के द्वारा निलंबित हुये 90 दिवस से भी अधिक का समय बीत चुका है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में भी यह स्पष्ट अंकित है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है और जांच पूर्ण होने उपरांत दोषी पाये जाने पर उसे आरोप पत्र दे दिया जायेगा। परंतु अपीलार्थी को आलोच्य निलंबन आदेश जारी होने के बाद 90 दिवस से भी अधिक का समय बीत चुका है, परंतु अपीलार्थी के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2015) 7 एससीसी 291 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 जिसमें निलंबन के तीन माह पूर्ण होने पर आरोप पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

> *"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence. We think this will adequately safeguard the universally recognized principle of human dignity and the right to a speedy trial and shall also preserve the interest of the Government in the prosecution. We recognize that previous Constitution Benches have been reluctant to quash proceedings on the grounds of delay, and to set time limits to their duration. However, the imposition of a limit on the period of suspension has not been discussed in prior case law, and would not be contrary to the interests of justice. Furthermore, the direction of the Central Vigilance Commission that pending a criminal investigation departmental proceedings are to be held in abeyance stands superseded in view of the stand adopted by us.*
>
> *So far as the facts of the present case are concerned, the Appellant has now been served with a Chargesheet, and, therefore, these directions may not be relevant to him any longer. However, if the Appellant is so advised he may challenge his continued suspension in any manner known to law, and this action of the Respondents will be subject to judicial review."*

इस प्रकार उक्त न्यायिक विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना उक्त विधि के विरूद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.08.2024 को उक्त न्यायिक विनिश्चय को दृष्टिगत रखते हुये अपास्त किया जाता है।''

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी–अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के **सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151)** के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :–

"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86)** में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :–

"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन **मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में** अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :–

"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions

learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 24.12.2024 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी–अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष